185

संख्या /2013/28/IX/2007

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 14 जून, 2013

विषय– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में तैनात राजकीय रोड़वेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/IX/28/2007 दिनांक 16 मार्च, 2007 के क्रम में अपने पत्रांक 1236/नि0मु0/पेंशन/12 दिनांक 20–9–2012 एवं पत्रांक 271 एलएएस/IV/2013 दिनांक 22–4–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2007 द्वारा उ0प्र0 राजकीय रोड़वेज के उन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों जो उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में संविलियन होने के पश्चात उत्तराखण्ड परिवहन निगम में विकल्प के आधार पर तैनात हुये और जो सेवा निवृत्त हो चुके/होने वाले हैं, की संख्या कम होने के कारण सेवा निवृत्त लाभ राजकोष से न दिये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त शासनादेश के विरूद्ध प्रकाश चन्द्र जोशी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में एक रिट याचिका संख्या 851(एस/एस)/2010 योजित की गयी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–11–2012 को उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2007 को अपास्त (Quashed) कर पेंशन का लाभ देने के आदेश पारित किये गये।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के उक्त पारित आदेशों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2007 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संविलियन के फलस्वरूप तैनात ऐसे 37 राजकीय रोड़वेज उ0प्र0 के कार्मिकों को कोषागार से माह नवम्बर, 2012 से पेंशन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1757/30–I–I12रम/80 दिनांक 16 जुलाई, 1988 (परिशिष्ट एक), शासनादेश संख्या 1480/तीस–दो–92–63/92 दिनांक 08 सितम्बर, 1992 (परिशिष्ट दो) एवं शासनादेश संख्या 938/30–2–93–47 दिनांक 28 मई, 1993 (परिशिष्ट तीन) में उल्लिखित शर्तो के अधीन भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– उत्तराखण्ड परिवहन निगम सम्बन्धित कर्मचारियों के पेंशन पेपर्स समुचित रूप से जॉच करके व तैयार करके पेंशन निदेशक को समय से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः..2..

5-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 257/XXVII(2)/2013 दिनांक 13 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक--यथोपरि।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या 97 /2013/28/IX/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ए0 एण्ड ई0 ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2-- महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस--ब--1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
3-- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
4-- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5-- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6-- वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
7-- निजी सचिव मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8-- वित्त नियत्रंक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
9-- बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10-- वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
11-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 938/30–2–93–47 दिनांक 28 मई, 1993 के द्वारा पेंशन की स्वीकृति

1– उत्तर प्रदेश राजकीय रोड़वेज के उन सरकारी कर्मचारियों जो उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संविलियन होने के पश्चात् सेवा–निवृत्त हो चुके हैं/होंगे, को सेवा–निवत्तिक लाभों के भुगतान की व्यवस्था से सम्बन्धत शासनादेश संख्या 1480/तीस–दो–92–63/92 दिनांक 08 सितम्बर, 1992 के पैरा–3 में उल्लिखित वास्तविक वित्तीय व्यवभार से तात्पर्य ऐसी धनराशि से हैं, जो सेवा–निवृत्ति के समय आगणित नैवृत्तिक लाभों में से 28–7–82 निगम में संविलियन की तिथि को परिलब्धियों के आधार पर आगणित नैवृत्तिक लाभों को कम करके आई होगी। जिसके आगणन का प्रपत्र संलग्नक में दिया जा रहा है।

2– उपरोक्त प्रकार से आगणित निगम का अंश जिसमें सेवा–निवृत्ति से प्रकरण प्रस्तुत करने की तिथि तक आगणित पेंशन तथा उस पर राहत की धनराशि/उपादान की धनराशि तथा नियमानुसार राशिकरण की धनराशि एवं अगले 3 माह में भुगतान होने वाली पेंशन/राहत की धनराशि शामिल होगी राजकीय कोष में जमा करने के प्रतीक स्वरूप परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत होने वाले पेंशन प्रकरण के साथ एक आगणन चार्ट संलग्न करना होगा जिसमें निगम के द्वारा भुगतान किये जाने वाले अंश का विवरण तथा उसके जमा करने का चालान आदि का विवरण अंकित होगा।

3– त्रैमासिक रूप से पूर्व निस्तारित प्रकरणों में देय पेंशन तथा महंगाई राहत की धनराशि अग्रिम रूप से राजकीय कोष में जमा करने के पश्चात् विवरण परिवहन निगम द्वारा पेंशन निदेशक को सूचित किया जायेगा।

4– परिवहन निगम से शासन को भुगतान होने वाले वास्तविक वित्तीय भार के भुगतान की समीक्षा वार्षिक रूप से पेंशन निदेशक और प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम द्वारा नामित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जायेगी और एक चार्ट बनाकर उस पर समाधान विवरण तैयार किया जायेगा। यदि परिवहन निगम के ऊपर धनराशि शेष रहती है तो पेंशन निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन का भुगतान बन्द कर दें।

5– पेंशन प्रपत्रों के साथ आगणन शीट वांछित होगी तथा जमा धनराशि का समाधान विवरण का प्रारूप पेंशन निदेशक तैयार करके परिवहन निगम को अलग से भेज देंगे।

ह0/–
(जनार्दन प्रसाद)
विशेष सचिव

परिशिष्ट "दो"

शासनादेश संख्या 1480/तीस–दो–92–63/92 दिनांक 08 सितम्बर, 1992 के द्वारा पेंशन की स्वीकृति

1– उत्तराखण्ड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान के आदेश पूर्व की भांति पेंशन निदेशालय द्वारा जारी किये जायेंगे और ऐसे भुगतानादेशों पर सम्बन्धित कोषागारों से पेंशन आदि का भुगतान किया जायेगा।

2– प्रश्नगत कर्मचारियों की उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संविलियन होने की तिथि तक की सेवावधि पर होने वाले सेवानैवृत्तिक लाभों का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3– उ0प्र0 परिवहन निगम में संविलियन होने की तिथि से सेवा निवृत्त होने की तिथि तक की सेवावधि का सेवानैवृत्तिक लाभ पर होने वाला वास्तविक वित्तीय भार उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा वहन किया जायेगा और उसका भुगतान पेंशन निदेशालय के माध्यम से राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जायेगा। पेंशन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उ0प्र0 परिवहन निगम से प्राप्त होने वाली सेवानैवृत्तिक लाभों की धनराशि सही ढंग से आगणित एवं भुगतान की गयी है।

4– प्रश्नगत कर्मचारियों की उस अवधि, जिस अवधि में वे उ0प्र0 परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति पर गाने गये हैं, का लीव सेलरी कन्ट्रीब्यूसन एवं पेंशनरी कन्ट्रीब्यूसन नियमानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

5– उ0प्र0 परिवहन निगम उक्त प्रयोजन पर होने वाले वास्तविक व्यय की धनराशि प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास के अन्तिम दिन तक राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत अवश्य जमा कर देंगे और ट्रेजरी चालान की एक–एक प्रति पेंशन निदेशालय तथा शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6– यदि उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि भुगतान न की जायेगी, तो पेंशन निदेशालय/कोषागार उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रश्नगत कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान बन्द कर देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखण्ड परिवहन निगम पर होगी।

7– उत्तराखण्ड परिवहन निगम पेंशन पेपर्स समुचित रूप से जांच करके व तैयार करके पेंशन निदेशक को समय से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
(मेघराज सिंह)
संयुक्त सचिव